अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

रणजीत कौर **बनाम** जसप्रीत कौर आदि

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए प्रकरण संख्या 184 सन् 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/263

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.2025	वादिया अधिक्ता उपस्थित। वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि राजस्व ग्राम 2 यू, पटवार हल्का मलकाना कलां,भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 96/77 के मुरब्बा नम्बर 30, 64 की 5.641 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 जसप्रीत कौर के नाम दर्ज 2.605 हैक्टेयर भूमि के पंजीकृत उपहार पत्र (रणजीत कौर बहक जसप्रीत कौर) दिनांक 19.06.2020 व उसकी रूह से दर्ज नामान्तरण संख्या 650 दिनांक 06.04.2021 को निरस्त किया जाकर पुन वादिया रणजीत कौर को खातेदार घोषित किए जाने व वादगत भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादी संख्या 1 की तलवी जरिए दैनिक अखबार प्रकाशन से करवाए जाने के बाद एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है। लिहाजा पंजीकृत उपहारपत्र (रणजीत कौर बहक जसप्रीत कौर) दिनांक 19.06.2020 में उपहारकर्ता रणजीत कौर ने अपनी पुत्रवधू जसप्रीत कौर को वादगत भूमि हस्तान्तरित की है। पंजीकृत उपहार पत्र की उपहारकर्ता रणजीत कौर व गवाह बलविन्द्र सिंह व हरदीप सिंह के द्वारा हस्तगत प्रकरण में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अर्ज किया है कि पंजीकृत उपहारपत्र दिनांक 19.06.2020 में रणजीत कौर की स्वतंत्र सहमति नहीं थी। दानपत्र रणजीत कौर व हमें बताये बिना तथ्यों को छिपाकर विधि विरूद्व कपटपूर्वक, खिलाफ कानून निष्पादित करवाया गया है। जबकि पंजीकृत उपहार पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसके साथ–साथ हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 जसप्रीत कौर की तलवी हेतु सही पता भी टरेस नहीं हुआ है। वादिया एक वृद्व महिला है। जिसका एकमात्र सहारा वादगत भूमि ही है। वादिया अपनी अजीविका से महरूम न हो जावे, इस बात पर सहानुभूति रखते हुए वादिया को वादगत भूमि की स्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना हम उचित समझते है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादपत्र वादिया अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए बखूबी साबित नहीं होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर स्थायी व्यादेश बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 2 यू, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 96/77 के मुरब्बा नम्बर 30, 64 की कुल	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

5.641 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 जसप्रीत कौर पत्नी चुहड सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज 2.605 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) राजस्थान

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
रणजीत कौर बनाम जसप्रीत कौर आदि
वादपत्र धारा अन्तर्गत 88, 188, 91, 92ए आरटीए
प्रकरण संख्याः-184/2022
निर्णय दिनांक :- 12.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए बखूबी साबित नहीं होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर स्थायी व्यादेश बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है कि वे राजस्व ग्राम 2 यू, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 96/77 के मुरब्बा नम्बर 30, 64 की कुल 5.641 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 जसप्रीत कौर पत्नी चुहड सिंह जाति जटसिख के नाम दर्ज 2.605 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 12.11.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः 12.11.2025

क्रमांकः रीडर/ 2025/853
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर